

प्रारूप-सात
(नियम 11दिखिये)

752/2
04/09/20

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973(क्र.44सन्1973)की धारा 27 के अधीन शासीनिकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिये प्रपत्र

1. सोसायटी का नाम और पूरा पता

विधिक शैक्षणिक संस्थान.

79, राम मन्दिर के पास टीला जमालपुरा, तहसील हजूर,
भोपाल, मध्यप्रदेश में स्थित होगा।

2. पंजीयन क्रमांक तथा तारीख

पंजी.क्र. 7830/2000 दिनांक 10.04.2000

3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मेलन

30.08.2020

4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची

कार्यकाल तारीख 30.08.2020 से 29.08.2022 तक



क्र.	नाम, पिता/पति का नाम	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.	श्री नीरज पाटीदार पुत्र स्व.श्री मोहनलाल पाटीदार	म.न.14, बरखेड़ा नाथू भदभदा रोड, भोपाल.	अध्यक्ष	कृषक एवं व्यवसाय	
2.	श्रीमती अभिलाषा पाटीदार पति श्री नीरज पाटीदार	म.न.14, बरखेड़ा नाथू भदभदा रोड, भोपाल.	उपाध्यक्ष	गृहणी एवं समाजसेवा	
3.	श्री विजय शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा	म.न.79, राम मंदिर, टीला जमालपुरा, भोपाल.	सचिव	व्यवसाय	
4.	श्रीमती वर्षा शर्मा पति श्री विजय शर्मा	म.न.79, राम मंदिर, टीला जमालपुरा, भोपाल.	कोषाध्यक्ष	गृहणी एवं समाजसेवा	
5.	श्री विधिक शर्मा श्री विजय शर्मा	म.न.79, राम मंदिर, टीला जमालपुरा, भोपाल.	संयुक्त सचिव	विद्यार्थी	
6.	श्री अशोक पाटीदार पुत्र श्री रामदयाल पाटीदार	बरखेड़ा नाथू भदभदा रोड, भोपाल.	सदस्य	कृषक	अशोक पाटीदार
7.	श्रीमती सीमा शर्मा पति श्री शिशिर शर्मा	99, मीनाल रेसीडेन्सी भोपाल.	सदस्य	गृहणी एवं समाजसेवा	
8.	श्री संतोष पाटीदार पुत्र स्व.श्री लक्ष्मीनारायण पाटीदार	बरखेड़ा नाथू भदभदा रोड, भोपाल.	सदस्य	कृषक	

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973
की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि

04.09.2020
(एम. जे. कुरेशी)

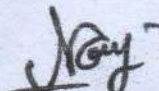
असि. रजिस्ट्रार
फर्मस एवं संस्थाएं
भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, भोपाल (म.प्र.)

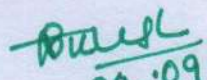
5. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र.44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन 1086/-
रुपये की वार्षिक फीस चालान क्रमांक 93/14/00661/59147/5030920/20454
दिनांक 03/09/2020 के द्वारा जमा कर दी गई है, उसकी मूल प्रति संलग्न है।

घोषणा

मैं नीरज पाटीदार पुत्र स्व.श्री मनोहर पाटीदार आयु 41 वर्ष एक प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसायटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी अधिकारी के आधिपत्य में है। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड का दायी रहूंगा।

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973
की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि

हस्ताक्षर 
नाम-नीरज पाटीदार
(अध्यक्ष)


04.09.2020
(एम. जे. कुरेशी)
असि. रजिस्ट्रार
फार्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, भोपाल (म.प्र.)



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50

भारत

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AY 871150



सरथा विश्वक शैक्षणिक संस्थान भोपाल पंजीयन क्रमांक 2820/2000 दिनांक 10/11/2000 के नाम से दिनांक 5/9/20 को प्रस्तुत मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 27 की जानकारी की प्रतिलिपि हेतु धारा 29 के तहत दिनांक 5/9/20 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। धारा 27 के तहत प्रस्तुत शासी निकाय की सूची की वैधानिकता के संबंध में प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी स्वयं उत्तरदायी है। कार्यालय द्वारा धारा 29 के तहत केवल प्रतिलिपि मात्र जारी की गई है। धारा 29 के तहत जारी प्रतिलिपि पदाधिकारियों की वैधानिकता के संबंध में प्रमाण-पत्र आदेश नहीं है।

04.09.2020

असि. रजिस्ट्रार,
फर्म्स एवं संस्थाएं

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

भारत



सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH



AY 871151